Deputy Director of
Education
23 JUL 2026
Diary ... 4334
Kangra at Dharamshala

दिनांक 15–07–2026 को माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही।

G-3/misc
4/5372

माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 11263/2025 (जी. गणेश बनाम राज्य तमिलनाडु व अन्य) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2026 को जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1	श्री आर. मिहुल शर्मा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
2	श्री राजेद्र कुमार	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला।
3	श्री नवदीप सिंह	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला देहरा। (Virtually)
4	श्री विक्रम जीत शर्मा	अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
4	श्री रमेश कुमार	जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कांगडा स्थित धर्मशाला।
5	डॉ. दुष्यंत कुमार	जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
5	श्री बृजेंद्र कुमार	निरीक्षक प्रधान लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस जिला नूरपुर।
6	श्रीमति इन्दु बाला	सहायक उप–निरीक्षक, मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

बैठक की शुरुआत में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय व सभी हितधारकों का स्वागत किया तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2026 के बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके पश्चात, एजेंडा वार चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. Mandatory and Immediate Registration of FIRs.

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे के लापता होने की सूचना पर बिना किसी प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) के तुरंत FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए गए की जिले के सभी थाना प्रभारियों SHO/SJPU को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए जाएं कि परिजनों द्वारा की गई शिकायत पर

बिना विलंब के शिकायत दर्ज करते हुए तुरंत गुमशुदा की तलाश की जाए व FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की प्रासंगिक धाराएं तुरंत जोड़कर उसकी एक प्रति जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) व जिला बाल कल्याण समिति (CWC) को भेजी जाए।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस विभाग को **बचपन बचाओ आंदोलन** के सिद्धांतों और बाल कल्याण कानूनों के तहत आने वाले मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कार्रवाई तथा बच्चों के शोषण, बाल श्रम और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में प्राथमिकता से काम करने तथा इनसे संबंधित सभी आवश्यक विवरणों को डिजिटल पोर्टल पर फॉर्म–एम (Form–M) में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त FIR के मद में अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति द्वारा जिले में दो ऐसे मामलों के बारे में अवगत करवाया जो स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग से संबंधित थे। जिसमें एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने का जो स्वास्थ्य विभाग से मामला था और एक शिक्षा विभाग से जिसमें एक स्कुल से बच्ची के लापता होने का था। अध्यक्ष द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त दोनो मामलों मे जिला बाल कल्याण समिति को न जो FIR के बारे में जानकारी दी गई न ही FIR की प्रति उपलब्ध करवाई गई ।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यह एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर कानूनी मामले है। इस प्रकार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इसके जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सख्त दिशानिर्देश दिए गए कि वे तुरंत जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी करें। आदेश में यह स्पष्ट किया जाए कि भविष्य में जैसे ही किसी नाबालिग के गर्भवती होने का कोई भी मामला सामने आए, स्वास्थ्य विभाग बिना किसी विलंब के तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित कर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को भी यह निर्देश दिए गए कि वे स्कूल से बच्ची के लापता होने के मामले पर तुरंत कड़ा संज्ञान लें तथा भविष्य में ऐसा मामला न हो इस संबंध में सभी स्कूलों को जरूरी दिशा–निर्देश जारी करें की ऐसे मामलों पर तुरंत FIR दर्ज करवाना सुनिश्चित करें और उसकी प्रति जिला बाल कल्याण समिति को भी करना सुनिश्चित करें।

2. Optimization of "Golden Hours" & Law Enforcement Mobilization:

लापता होने के शुरुआती कुछ घंटे (**"Golden Hours"**) सुरक्षित रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

उक्त संख्या पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा यह दिशानिर्देश दिए गए कि सूचना मिलने के प्रथम 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते है जिसमें किसी भी सम्भावित मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधो को समय पर रोका जा सकता है। पुलिस तुरंत अपनी खोजबीन उच्चतम स्तर पर शुरू करेगी। यदि

लापता बच्चा 24 घंटे के भीतर मिल जाता है, तो मामले को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है।

3. Operational Status and Strengthening of Anti-Human Trafficking Units:

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह चर्चा की गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला कांगड़ा व पुलिस जिला देहरा व नूरपुर में मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) संचालित होनी चाहिए तथा यूनिट को पूरी तरह सक्रिय और सतर्क रखा जाए और पुलिस को जैसे ही किसी मामले में मानव तस्करी (Trafficking) का संदेह हो, केस तुरंत बिना किसी देरी के मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) को ट्रांसफर किया जाए। जिसपर पुलिस विभाग द्वारा कहा गया कि नव–स्थापित पुलिस जिला देहरा व पुलिस जिला नूरपुर में मानव तस्करी विरोधी इकाई संचालित है।

4. Onboarding of Police Stations on Mission Vatsalya Portal:

जिले के सभी थानों का विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करने की प्रगति की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए गए कि वह जिले के पुलिस स्टेशनों को मिशन वात्सल्य पोर्टल पर ऑनबोर्ड करना सुनिश्चित करेंगे ताकि गुमशुदा और मिले हुए बच्चों की ट्रैकिंग प्रभावी ढंग से हो सके। जिस पर पुलिस विभाग द्वारा कहा गया कि जिले के सभी पुलिस स्टेशन पोर्टल पर सकिय है।

5. Mandatroy Aadhar Verification and Birth Enrolment:

माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बरामद किए गए बच्चों का तुरंत आधार सत्यापन या आधार नामांकन, जो भी मामला हो, किया जाए, ताकि उचित पहचान और बहाली की सुविधा मिल सके तथा संबंधित अधिकारियों को माता–पिता/अभिभावकों की स्वैच्छिक सहमति के अधीन, जन्म स्थान पर ही आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था हो। ऐसी प्रणाली को लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करें, विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और जन्म पंजीकरण केंद्रों में, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा जब भी माँगा जाए, एक सूचित प्रतिक्रिया उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि सरकारी अस्पतालों और जन्म पंजीकरण केंद्रों पर जन्म के तुरंत बाद आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था की व्यवहार्यता (Feasibility) की जाए।

6. Inter-Agency Coordination for Rehabilitation and Restoration:

बरामद बच्चों की सुरक्षित और त्वरित घर वापसी तथा संवेदनशील मामलों में सुरक्षा उपायों पर विचार किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि बाल कल्याण समिति (CWC) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बिना किसी देरी के बच्चे को उसके वैध अभिभावक को सौंपेंगे। यदि तस्करी में परिवार या अभिभावकों की संलिप्तता/मिलीजुली भूमिका पाई जाती है, तो बच्चे को परिवार को नहीं

सौंपा जाएगा। ऐसे बच्चों की सूचना और पुनर्वास जिला बाल कल्याण समिति, (CWC) बाल संरक्षण संस्थानों में करेगी।

7. Institutional Inter-Agency Reporting System:

अध्यक्ष महोदय द्वारा बाल अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए सभी हितधारकों को (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के बीच एक मजबूत Inter-Agency Reporting प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर विशेष बल दिया कि बच्चों से जुड़े मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित विभाग और हितधारक आपस में नियमित समन्वय, सूचनाओं का त्वरित साझाकरण और बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

पृष्ठांकन सं०–WCD/DCPU(Kgr) Meeting-Vol-I-24/25 *1862-70 दिनांक 22-07-2026

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला को उनके पत्र सं० WCD-SCPS(F)-1-9/25-1414-1424 दिनांक 20.06.2026 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
3. पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
4. पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला नूरपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला देहरा।
6. अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, को अनुपालना हेतु।
8. उप–निदेशक स्कूल शिक्षा (प्राथमिक व सेकेंड्री), कांगड़ा स्थित धर्मशाला को अनुपालना हेतु।
9. अधीक्षक, मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

Endst. No. EDN-KGR (Misc) 2026
Office of the Deputy Director of School Education (Secondary)
Kangra at Dharamshala.
E mail Address ddhekangra3@gmailll.com
Dated Dharamshala - 176215

28-07-2026

Deputy Director of School Education (Sec)
28 JUL 2026
Dispatch No. 5542-44
Kangra at Dharamshala

Copy to:-
01. The District Child Protection Officer, Kangra at Dharamshala for information please.
02. All the Principals/Headmasters Govt. Sr. Sec. Schools/Govt, High Schools of District Kangra for strict compliance.
03. I.T. Incharge (Internal) to upload the same on the official website.
04. Guard File.

Dy. Director of School Education (Sec.)
Kangra at Dharamshala